RNI Regn. No. : UPHIN/2004/13685

पत्रिका

कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

(रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या : 819/1987–88)

वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ – 226 004

फोन : 0522–2242486 मोबाइल : 9415418566, 9335019355 फैक्स : 0522–2242486

E-mail : coldstorage@satyam.net.in; coldstorage@fcaoi.org Website : http://www.fcaoi.org

श्री जी.एस. धीरानी, सेक्रेट्री जनरल : 9839013400, 9335519355

मूल्य : 1/– रु0 31 मई, 2014 मासिक पत्रिका : अध्यक्ष : श्री महेन्द्र स्वरूप, ऐशबाग, लखनऊ। सचिव : श्री राजेश गोयल, आगरा। वर्ष : 10, अंक : 12

संगठन ही शक्ति है

बन्धुवर,

जैसा आप सभी जानते है वर्ष 2014 में होने वाले लोक सभा के चुनाव सम्पन्न हो गए हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत ही बढ़िया मार्जिन margin से विजयी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व श्री नरेन्द्र मोदी कर रहे थे। श्री नरेन्द्र मोदी के कारण ही भारतीय जनता पार्टी इस तरह विजयी हो पाई। श्री नरेन्द्र मोदी बधाई के पात्र है। इनके नेतृत्व में भारत की जनता का प्रगति का एक नया मार्ग खुल गया है। हमें आशा है कि देश में अभूतपूर्व प्रगति होगी और शीघ्र ही भारत अपनी पूर्व गरिमा पर पहुँचेगा।

श्री नरेन्द्र मोदी

शीतगृह उद्योग अभी तक उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग में आता था। अब उद्यान विभाग कृषि में मिला दिया गया है और उसके मंत्री श्री राधा मोहन सिंह है। हमें आशा है कि हमारे नए मंत्री शीतगृह उद्योग की समस्याओं का समाधान निकालेंगे।

भारत पाकिस्तान के बीच में व्यापार बढ़ने की आशा काफी बढ़ गई है और इस कारण पाकिस्तान को होने वाले आलू निर्यात के बढ़ जाने की आशा भी बढ़ गई है, वैसे खबर यह भी है कि मिडल ईस्ट व श्रीलंका को भी अधिक मात्रा में आलू निर्यात निकट भविष्य में होगा।

इस समय आलू की मण्डियाँ स्थिर चल रही हैं परन्तु फिर भी आलू बेचने वालो को किसी भी प्रकार का कोई घाटा नहीं हो रहा है कुछ मुनाफा ही मिल रहा है। आगे के भाव नई आने वाली माँग पर निर्भर करते हैं। अगर आलू की निकासी शीतगृहों से बराबर चलती रही तो भविष्य उज्जवल ही रहेगा।

शीतगृह कक्ष में बनने वाली रेक्स Racks और सुरक्षा उपायों के बारे में :

हमें अनेक नए व पुराने शीतगृहों ने रैक्स व सुरक्षा उपायों के बारे मे सवाल पूछे हैं जो निम्न प्रकार से हैं :–

प्रश्न 1 : Racks किस मेटिरियल material के बनाए जाये?

अधिकतर शीतगृह इन तीनों चीजों में से एक चीज इस्तेमाल कर रहे हैं :–

1. बॉस
2. यूक्लपटिस Euclyptus की लकड़ी
3 साकू की लकड़ी

1. बाँस : शीतगृहों में बाँस की चहली सबसे अधिक कामयाब मानी गई है। यह चहली कम से कम 13 फुट लम्बे बाँसों की बनी होनी चाहिए जिसे कि जूट की रस्सी से कसा जाना चाहिए। यदि तीन फुट पर बेड़े support भी लगा दी जाए तो इस चहली में बहुत कम झुकाव आता है। बाँस यदि अन्दर से ठोस है और उनका डायामीटर (diameter) एक इंच से डेढ़ इंच के बीज है तो ऐसे बाँस बरसो चलते हैं। हरिद्वार, उत्तराखण्ड में यह बाँस आसानी से मिल जाते है।

ई–मेल पते में बदलाव :

कृपया ध्यान दें कि ई–मेल पते जिसमें सिफी sify आता है बदल दिए गए हैं। सिफी कम्पनी ने अपना काम–काज बन्द कर दिया है। चूकि हमारा पता सिफी कम्पनी के साथ था अतः हमारा ई–मेल पता भी बदल गया है।

हमारे सदस्यों को व अन्य सभी व्यक्तियों को हम सूचित कर रहे हैं, जो कि हम से संपर्क करते हैं या करना चाहते हैं, कि हमारा नया ई–मेल पता इस प्रकार है :–

E Mail : coldstorage@fcaoi.org

अब आप तत्काल से इस पते पर ई–मेल भेजें। 30 जून, 2014 के बाद किसी भी तरह पुराने पते पर ई–मेल नहीं भेजी जा सकेगी। यह विशेष सूचना है, कृपया अवश्य ध्यान में रखें।

पल्लेदारों को इन बाँसों पर चलने में परेशानी होती है। इसके लिए इन चहलियों पर सीमेन्ट की खाली बोरियों में हल्की भूसी भर कर पतली–पतली थैलियाँ रास्ते में चहली के ऊपर बिछा दी जाती है जिस पर पल्लेदार बड़े मजे से चलते चले जाते हैं। कभी एकदम ज्यादा लोड पड़ जाने पर यह चहलियाँ झूकती तो है यकायक टूटती नहीं।

2. यूक्लपटिस Euclyptus की लकडी : यह लकड़ी भी आजकल काफी इस्तेमाल हो रही है। इसकी डेढ़ इंच × एक इंच की फण्टी 6 फुट × 6 फुट या 6.5 फुट × 6.5 फुट चौके में काम दे जाती है। इनमें भी तीन फुट पर एक बड़ी support अच्छी रहती है और इसमें चहली 6 फुट × 6 फुट या 6.5 फुट × 6.5 फुट लम्बी फन्टियों में बनाई जा सकती है परन्तु कभी–कभी पल्लेदारों के पैर के वजन से इन चहलियों की फन्टी टूट जाती है और पल्लेदारों को चोट लगती है। ऐसी चोट बाँस की चहलियों में नही लग सकती। इस चहलियों में चूंकि फ्रेम बनाने में कीलों का इस्तेमाल होता है अतः कभी–कभी फ्रेम से कीले बाहर भी निकलने लगती है जो पल्लेदारों को चोट पहुँचा देती है। इस तरह की कोई परेशानी बाँस की चहलियों में नहीं होती।

3. साकू की लकडी : पुराने शीतगृहों में साकू की लकड़ी का प्रयोग होता था परन्तु अब साकू की लकडी बहुत महंगी हो जाने के कारण इस लकड़ी का प्रयोग करीब–करीब बन्द हो गया है। वैसे भी यह लकड़ी सबसे मजबूत रहती है और इसके सड़ने गलने का भी डर नहीं रहता। साकू की लकड़ी व Euclyptus की लकड़ी में कीड़ो व दीमक का प्रकोप भी नहीं होता। यदि कीमत को ध्यान में न रखा जाये तो साकू की लकड़ी का प्रयोग सबसे अच्छा होगा।

बरसात का सीजन आ रहा है। बरसात की वजह से शीतगृहों के चारों तरफ जमीन का वाटर टेबल उठ जाता है और इसकी वजह से शीतगृह कक्षों में पानी भर जाता है।

पानी भर जाने की अवस्था में बहुत अधिक घबराने की जरूरत नहीं है। शीतगृह कक्षों में बिजली का पम्प लगा कर पानी बाहर फेकते रहें। कमरे में पानी न इकट्ठा होने दें। जरूरत हो तो कमरों में दो एक छोटे–छोटे गड्ढे खोद लें जिससे कि कमरों का पानी उन गड्ढों मे भरता रहे और कमरों से वह पानी निकालना आसान हो जाए। ध्यान रहे कि ऐसी अवस्था में कमरे की humidity/आर्द्रता बहुत बढ़ जाती है अतः बंकर क्वायल की ट्रे से पानी को तेजी से बाहर निकलने दें। ट्रे में पानी को रुकने न दें। आर्द्रता/humidity बढ़ जाने के कारण आलू में अंकुरण बहुत तेजी से होने लगता है अतः कार्बन डाईआक्साइड व humidity दोनो को control/कंट्रोल करना जरूरी बन जाता है।

यदि आपके कमरों में humidity व कार्बन डाई आक्साइड बढ़ गई है और अंकुरण शुरू हो गया

है तो ऐसी दशा में आलू को सुरक्षित करने के लिए आपको पल्टाई का सहारा लेना होता है। हमने देखा है कि कई दफा आलू की दो से तीन पल्टाई कर लेने के बाद आलू पूर्णतयः सुरक्षित निकलता है और भण्डारणकर्ता को यह पता भी नहीं लग पाया कि उसके आलू में कभी अंकुरण हुआ होगा। इसके साथ–साथ कार्बन डाई आक्साइड बाहर निकाल देने के बाद ही शीतगृह का तापमान 34 डिग्री फारेहनहाइट तक रखने की कोशिश करें। कम तापमान रखने पर पुनः अंकुरण का जोर नहीं बनता। शीतगृह कक्षों में गैलरी बनाने पर विशेष ध्यान दें और यह भी ध्यान दें कि भण्डारित आलू की छल्ली हर दीवार से कम से कम 9 इंच की दूरी पर हो। इसमें कमरे में हवा का घुमाव बहुत तेज बढ़ जाता है और आलू को सुरक्षित रखता है।

हमने यह भी देखा है बहुत से शीतगृहों में भूतल पर जो आलू भण्डारित होता है, उसके नीचे, जैसा कि नियम है, कि कम से कम एक फुट जगह छूटी होनी चाहिए जिससे कि हवा का घुमाव नीचे से ही हो सके। कुछ लोग उस जगह को भूसी से पूरी तरह भर देते है और इस तरह भूतल पर नीचे से हवा आने की कोई गुंजाइश नहीं रहती इससे आलू में अकुंरण बहुत तेज होता है। कृपया भूतल पर नीचे हवा जाने के लिए जगह बनाए रखे।

यदि इस सम्बन्ध में आपको कोई प्रश्न करना हो तो हमें लिख सकते हैं।

कनवेयर बेल्ट के सम्बन्ध में :

इस समय कनवेयर बेल्ट का चलन धीरे–धीरे बढ़ता जा रहा है। शीतगृह अधिक से अधिक संख्या में अपने यहाँ कनवेयर बेल्ट लगा रहे है। बड़ी क्षमता के कक्षों के लिए कनवेयर बेल्ट एक मजबूरी सी बन गई है। इसके दो मुख्य कारण है :–

1. पल्लेदारों की कमी
2. आलू का भण्डारण के लिए एकदम अधिक मात्रा में आना।

1. पल्लेदारो की कमी : जैसा आप सब जानते है कि आजकल पल्लेदार बड़ी मुश्किल से मिलते है और खास कर के उन कक्षों के लिए जहाँ पर पाँच–छः मजिलें हो, चढ़ाई ज्यादा हो और कक्ष के अन्दर दौड़ भी ज्यादा हो। कई बार देखा गया है कि सीजन के वक्त पल्लेदार एक शीतगृह को छोड़ कर दूसरे में भाग जाते है और जिस शीतगृह के पल्लेदार भागते है उन पर कोई चारा नहीं रह जाता सिवाय इसके कि वह काफी ऊँचे रेटों पर पल्लेदारों को बुलाकर अपने कक्ष को भरवायें। सीजन टाइम ऐसा होता है कि यह भी देखा गया है कि जिस भी शीतगृह में पल्लेदार एक दो दफा भागे वह शीतगृह खाली रह जाता है।

2. आलू का भण्डारण के लिए एक दम अधिक मात्रा में आना : जैसा कि आप सब जानते है अब आलू की खुदाई खुरपियों से न हो कर ट्रैक्टर से होती है इसलिए खुदाई बहुत जल्द पूरी हो जाती है और इसी कारण से लोडिंग के समय कोल्ड स्टोरेज में आलू बहुत तेज आने लगता है और टोटल आवक 15/16 दिन में पूरी हो जाती है। इसके बाद तो फिर छिट–पुट छिट–पुट आलू आता रहता है। जो शीतगृह अपने यहाँ तेजी से लोडिंग करते चले जाते हैं उनके यहाँ तो आलू की आवक बनी रहती है वरना आलू का जाम देखकर भण्डारणकर्ता अपने आलू को दूसरे शीतगृह में ले जाता है जहाँ पर जाम नहीं लगा होता। कोई भी अपना आलू तपती धूप में नही रखना चाहता। धूप के आलू के खराब होने की सम्भावना भी बढ़ जाती है।

इन्ही कारणों से कनवेयर बेल्ट का चलन बढ़ता जा रहा है। यह एक अच्छी बात है। हम अपने ऐसे सदस्यों को जिनके अधिक शीतगृह कक्ष है और जिनकी क्षमता भी 30,000 या 30,000 पैकट प्रति कक्ष से अधिक है उन्हें इस बारे में अवश्य विचार करना चाहिए। इस क्षेत्र में अनेक कम्पनियाँ कार्यरत हैं जो कि कनवेयर बेल्ट स्पलाई कर रही है। गुणवत्ता को देखकर आप किसी भी कम्पनी को चुन सकते हैं परन्तु इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि कनवेयर बेल्ट लगाने पर आपके कमरे के अन्दर लगी हुई आर. सी.सी. बीम रास्ते में आती है और उसे काटना पड़ता है तो जहाँ तक हो बीम को काटने की अनुमति न दें। इससे पूरे कमरे का स्ट्रक्चर (structure) डिस्टर्ब (disturb) हो जाता है। बगैर बीम काटे भी आसानी से कनवेयर बेल्ट लगाई जा रही है। यदि आपके यहाँ कोई विशेष समस्या आती है तो स्ट्रक्चर का ध्यान रखते हुए ही बीम को कटवाए।

उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की भण्डारण रिपोर्ट :

आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, मऊ, गोरखपुर, देवरिया की आलू भण्डारण रिपोर्ट :

यह रिपोर्ट हमें श्री राजा राम, डायरेक्टर, माँ निस्तारणी कोल्ड स्टोरेज, गाजीपुर ने भेजी है। आपकी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014 में वर्ष 2013 के अनुपात में करीब 5 लाख कुन्तल का भण्डारण कम हुआ है।

अलीगढ़/आगरा क्षेत्र के बारे में :

श्री मोहित अग्रवाल, शिवांग कोल्ड स्टोरेज, सासनी, हाथरस ने हमें सूचित किया है कि अप्रैल अन्त में सासनी क्षेत्र से करीब 20/25 ट्रक की रोज की निकासी चल रही थी। ऐसी ही निकासी इग्लास क्षेत्र से हो रही थी। आगरा क्षेत्र से भी बहुत अधिक निकासी के समाचार मिल रहे है और अनुमान है कि यह निकासी 200 से 250 ट्रक प्रतिदिन की हो सकती है।

उस समय आलू का रेट 1350 से 1400 रूपए प्रति कुन्तल चल रहा था और इस तरह बाजार में थोड़ी सी तेजी नजर आ रही है।

आगरा मंडल वा अलीगढ़ मंडल में आलू की तौल पर बिक्री का सवाल :

बड़ा आश्चर्य का विषय है कि आगरा व अलीगढ़ मडंल में बिक्री के लिए भेजा तो 52 किलो 700 ग्राम आलू मण्डी में जाता है परन्तु बिक्री 50 किलो की होती है। यह विषय अभी पत्र द्वारा श्री मोहित अग्रवाल द्वारा हमारे सज्ञांन में लाया गया है।

52 किलो 700 ग्राम आलू के बदले में 50 किलों के पैसे देना सरासर अन्याय है और एक बहुत पुराने बिक्री चलन का स्मरण कराता है। यहाँ पर हम यह बता दें कि वर्ष 1960 में लखनऊ में भी यह चलन था कि हम 84 किलो आलू मण्डी में भेजते थे और हमें बिक्री 80 किलो की ही मिलती थी। हमने इसी समय शीतगृह का कार्यभार सम्भाला और दो वर्ष के अन्दर ही यह चलन बन्द कर दिया। अब पूरे वजन के पैसे लिए जाते है, फिर भी कुछ लोग अगर मण्डी के आढ़तियों के डर के मारे अधिक आलू भेज देते हो तो उसकी जानकारी हमें नहीं है।

अधिक आलू देकर कम आलू की बिक्री लेना सर्वथा गैर कानूनी व अन्यायपूर्वक है। इस प्रथा को तुरन्त बन्द कर देना चाहिए। यदि आप हमारी मदद चाहे तो हम आपको सरकार तक पहुँच कर इस प्रथा को बन्द करवाने में मदद कर सकते है परन्तु इसमें आपकी सहमति आवश्यक है। आपने हमे जो पत्र भेजा है उसमें हस्ताक्षर तो अवश्य है परन्तु उन हस्ताक्षरों की कोई प्रमाणिकता नहीं है। सरकार के सामने भेजे जाने पर हमें यह दिखाना पड़ेगा कि इस विषय पर शीतगृहस्वामी व किसान दोनों ही विरोध कर रहे हैं, यह सर्वथा गैर कानूनी है।

विद्युत सम्बन्धी :

जले हुए विद्युत मीटर के सम्बन्ध में :

हमे जले हुए मीटर के बारे में कई शीतगृहस्वामी यह पुछ चूके है कि इसके बदलने की कीमत किसे चुकानी होगी। इस सम्बन्ध में हम उन्हें विद्युत वितरण कोड का हवाला देते चले आ रहे है फिर भी हम वितरण कोड की धारा 5.9 को प्रस्तुत कर रहे है।

यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि परीक्षण शब्द का प्रयोग किया गया है। परीक्षण के मायने यह है कि आप का जला हुआ मीटर या खराब मीटर अधिशासी अभियन्ता (Test) (परीक्षण) के पास जाता है और उसके द्वारा दी हुई रिपोर्ट ही आधार मानी जाती है।

5.9. त्रुटिपूर्ण/जले हुए मीटरों के प्रतिस्थापन का व्यय :

(क) मीटर के प्रतिस्थापन का खर्च उपभोक्ता द्वारा या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन वाहन किया जायेगा :

(ख) लोप किया गया।

(i) यदि परीक्षण के परिणामस्वरूप यह साबित किया जाता है कि मीटर तकनीकी कारणों अर्थात् वोल्ट घट–बढ़, अस्थिरता इत्यादि के कारण जलता है तो अनुज्ञप्तिधारी पर अधिरोपित किये जाने योग्य है, जो मीटर के खर्च का वहन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जायेगा। लेकिन यदि यह साबित हो जाता है कि मीटर उन कारणों से जला था, जो उपभोक्ता पर अधिरोपित करने योग्य है अर्थात् उपभोक्ता के संस्थापन, उपभोक्ता द्वारा अप्राधिकृत भार के संयोजन इत्यादि के कारण, को व्यय का वहन उपभोक्ता द्वारा किया जायेगा।

(ii) यदि परीक्षण के परिणामस्वरूप यह साबित किया जाता है कि मीटर को मीटर में हस्तक्षेप करने के लिए उपभोक्ता द्वारा दूषित करने या जानबूझकर किसी अन्य कार्य के कारण त्रुटिपूर्ण बनाया गया था, तो मीटर के खर्च का वहन उक्त रूप में उपभोक्ता द्वारा किया जायेगा। उपभोक्ता का निर्धारण विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126 के अधीन किया जायेगा और विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 138 के अधीन दण्डनीय होगा। इसके अतिरिक्त, विधि के अधीन दण्डनीय रूप में कार्यवाही चोरी और दूषित करने के लिए उपभोक्ता के विरुद्ध की जायेगी।

(ग) यदि मीटर जला हुआ पाया जाता है और यह विश्वास करने का कारण है कि अनुज्ञप्तिधारी के कर्मचारी ने सीधा संयोजन दिया था, तो मीटर के प्रतिस्थापन के लम्बित रहने के दौरान सीधे चोरी का मामला दाखिल नहीं किया जायेगा। जले हुए मीटर के प्रतिस्थापन के लिए उपभोक्ता का परिवाद या ऊर्जा की आपूर्ति में विखण्डन से सम्बन्धित परिवाद को इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त माना जायेगा।

(घ) मीटर के प्रतिस्थापन के सभी मामले में, जहाँ व्यय का वहन उपभोक्ता द्वारा किया जाना है, उसे स्वयं खण्ड 5.2 और 5.4 के अनुसार मीटर और सम्बद्ध उपकरण को उपाप्त करने के लिए विकल्प होगा।

4.41. अनुबन्धित भार में कटौती :

(क) अनुबन्धित भार की कटौती माँग को अभिलिखित करने के योग्य इलेक्ट्रानिक मीटर को धारण करने वाले उपभोक्ताओं के सभी संवर्ग के लिए अनुज्ञेय होगा, यदि उनका उपभोग पिछले 6 मास में या

ऐसी अवधि के लिए, जो मौसम में विचारण में लिया जाता है, उपभोग की सामान्य अवधि से कम होना सुनिश्चित की जाती है। आवेदन भार की कटौती के लिए केवल किसी अतिरिक्त प्रभार के बिना विहित प्रसंस्करण फीस के साथ विहित प्ररूप (संलग्नक 4.10) पर सम्बद्ध अधिकारी को दो प्रतियों में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ किया जायेगा :

(i) अनुज्ञप्त विद्युत ठेकेदार के लिए कार्य पूरा करने का प्रमाण–पत्र और परीक्षण रिपोर्ट, जहाँ संस्थापन का परिवर्तन अन्तर्ग्रस्त है।

(ii) अन्तिम दो बिल चक्र में अभिलिखित अधिकतम माँग, यदि मीटर में पूर्व दो बिल चक्र की अधिकतम माँग और विद्युत बिल को अभिलिखित करने की सुविधा है।

(iii) (लोप किया गया)

(iv) भुगतान किये गये नवीनतम विद्युत बिल की प्रतिलिपि, यदि बकाये से सम्बन्धित मामला स्थगित किया जाता है और न्यायालय में लम्बित है, तो खण्ड 4.49 के अनुसार प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा अन्यथा नवीनतम बिल का भुगतान पूर्ण रूप से किया जायेगा।

(v) सम्यक् रूप से दाखिल और उपभोक्ता द्वारा हस्ताक्षरित मुख्य करार के अनुपूरक के रूप में कार्य करने के लिए करार का संलग्नक।

(ख) सत्यापन के बाद अनुज्ञप्तिधारी का पदाभिहित प्राधिकारी आवेदन की स्वीकृति की तारीख से 30 दिनों के भीतर कम किये गये भार को स्वीकार करेगा।

(ग) दो वर्ष के अनिवार्य करार की अवधि की गणना सभी मामलों के लिए पी.डी. के प्रयोजन के लिए मूल करार की तारीख से की जायेगी।

(घ) कोई वापसी लाइन और उपकेन्द्र के निक्षिप्त व्यय के लिए अनुज्ञात नहीं की जायेगी। लेकिन यदि पहले निक्षिप्त प्रतिभूति कम किये गये भार के लिए अपेक्षा के आधिक्य में है, तो आधिक्य प्रतिभूति का समायोजन भविष्य के बिल में किया जायेगा। यदि लाइन, उपकेन्द्र और मीटर प्रणाली उनकी क्षमता/मात्रा में कमी की अपेक्षा करते हैं, तो अनुज्ञप्तिधारी अपने व्यय पर इसे करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(ङ) ऐसी कटौती की प्रभावी तारीख की गणना आगामी मास के प्रथम दिन से की जायेगी, जिसमें अनुज्ञप्तिधारी ने आवेदन को स्वीकार किया है।

(च) भार में कमी की अनुमति निम्नलिखित मामलों में नहीं दी जायेगी :

(i) आर्क/अधिष्ठापन भट्ठी बेलन और पुनः बेलन मील तथा छोटे लौह संयंत्र को परिसर में संस्थापित मशीनों और भट्ठियों को कुल दर से कम भार कम करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी सिवाय संरक्षणात्मक उत्पादन क्षमता के उत्पाद के सिवाय, जिसका संस्थापन किया जा सकता है और समानान्तर में परिवर्तित हो रहा है। सहायक भार अपवर्जित किया जायेगा।

(ii) अनुबन्धित भार छोटे और मध्यम औद्योगिक और प्राइवेट नलकूल उपभोक्ताओं के मामले में, जिसमें कोई एम.बी.आई. मीटर नहीं है, संस्थापित मशीनों के कुल दर से नीचे कम नहीं किया जायेगा।

(iii) भार को आपूर्ति के प्रारम्भ की तारीख से 24 महीने के भीतर कम नहीं किया जायेगा। लेकिन, यदि उपभोक्ता 24 मास की अवधि और 6 मास के सन्तुलन के लिए, जो भी कम हो, समर्पण किये गये/कम किये गये अनुबन्धित भार की मात्रा के लिए लागू निर्धारित/न्यूनतम प्रभार का भुगतान करने का इच्छुक है, तो कटौती की अनुज्ञा दी जा सकेगी।

(iv) भार की कटौती के लिए कोई आवेदन कारण को अभिलिखित किये बिना नामंजूर नहीं किया जाएगा और विनिश्चय की संसूचना आवेदक को दी जायेगी।

(v) यदि अन्तिम दो बिल चक्र में से किसी में अभिलिखित अधिकतम माँग उपभोक्ता द्वारा वांछित कम किये गये अनुबन्धित भार की अपेक्षा अधिक है।

(vi) उन मामलों में, जहाँ मीटर में अधिकतम मान के अभिलिखित करने की सुविधा नहीं है, अनुज्ञप्तिधारी ऊर्जा बिल से और स्थल निरीक्षण द्वारा अधिकतम माँग को सुनिश्चित करेगा। लेकिन, इस अपेक्षा का उन मामलों में त्याग किया जा सकता है, जहाँ अनुज्ञप्तिधारी स्थल निरीक्षण द्वारा सहमत है कि उपभोक्ता कम किये गये अनबुन्धित भार के परे विद्युत का प्रयोग करने के लिए सम्भाव्य नहीं है।

अन्य मामले के लिए विद्युत भार की वृद्धि किस प्रकार की जाए यह अगले अंक में प्रकाशित करेंगे।

विद्युत सम्बन्धी :

. . . मार्च 2014 अंक का शेष

20. सिस्टम लोडिंग चार्जेज :

तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद द्वारा धन की कमी का बहाना लेते हुए वर्ष 1989 में प्रथम बार कार्यालय ज्ञापन जारी करते हुए सभी उपभोक्ताओं के ऊपर सिस्टम लोडिंग चार्जेज नाम

का मद जबरदस्ती लगाया गया था तथा कहा गया था कि इस धनराशि का उपयोग सिस्टम को उच्चीकृत (upgradation) करने में किया जायेगा। इस कार्यालय ज्ञाप में तत्कालीन विद्युत अधिनियम 1910 की किसी भी धारा का कोई उल्लेख नहीं था। यह कार्यालय ज्ञापन अवैध है तथा अधिनियम के विपरीत है क्योंकि :–

(क) विद्युत 1910 व विद्युत अधिनियम 2003 में स्पष्ट उल्लेख है कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किये गए सभी व्यय विद्युत दर सूची (टैरिफ) के द्वारा उपभोक्ताओं से वसूल किये जायेंगे।

(ख) विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 एवं विद्युत आपूर्ति (उपभोक्ता) विनियमावली 1984 में स्पष्ट उल्लेख है कि यदि किसी उपभोक्ता को संयोजन देने के लिए सिस्टम में किसी बदलाव की आवश्यकता है तो अनुज्ञप्तिधारी उस बदलाव के लिए आवश्यक धन की माँग प्राकलन के माध्यम से करेगा।

(ग) उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत गठित नियामक आयोग द्वारा नोटीफाइड विद्युत वितरण संहिता 2002 एवं संशोधन तथा विद्युत वितरण संहिता 2005 एवं संशोधन में स्पष्ट प्राविधान है कि अनुज्ञप्तिधारी सिस्टम लोडिंग चार्जेज से सम्बन्धित जो भी आदेश जारी करेगा उसका अनुमोदन आयोग से लेगा, परन्तु किसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसा नहीं किया गया।

(घ) ने नई 2007 में महाराष्ट्र राज्य के एक वाद में सिस्टम लोडिंग चार्जेज (सर्विस लाइन चार्जेज) को गलत करार देते हुए कहा कि प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस धनराशि की वसूली आयोग से अनुमोदित विद्युतदर सूचियों (टैरिफ) के माध्यम से की जा रही है। अतः यदि सिस्टम लोडिंग चार्जेज (सर्विस लाइन चार्जेज) वसूल करने को सही करार दिया जाता है तो यह धनराशि अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उपभोक्ताओं से दो बार वसूल की जायेगी।

उत्तर प्रदेश नियामक आयोग द्वारा इस निर्णय के बाद भी सितम्बर, 2007 में सिस्टम लोडिंग चार्जेज की वसूली करने के लिए कास्ट डाटा बुक 2007 के माध्यम से लाइसेन्सी को अधिकृत कर दिया गया जोकि गलत है।

(ङ) हमारे द्वारा सूचना का आधार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत जो सूचनायें प्राप्त की गई है उसके अनुसार वर्ष 2007 तक किसी भी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग से ना तो कोई अनुमोदन प्राप्त किया गया है, तथा ना ही आयोग द्वारा किसी भी अनुज्ञप्तिधारी को इससे सम्बन्धित कोई अनुमोदन दिया गया है।

नोट : उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन जैसे सभी उपभोक्ता जिन्होंने कभी सिस्टम लोडिंग चार्जेज जमा किया हो अर्थात् जिनका संयोजन 1989 अथवा उसके बाद हुआ हो, सिस्टम लोडिंग चार्जेज से सम्बन्धित दस्तावेज उपलब्ध कराती है तो हमारी कम्पनी द्वारा इस मद में वसूल की गयी धनराशि को वापस कराने के लिए विधिक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है।

21. विद्युत का अनाधिकृत प्रयोग एव विद्युत चोरी

विद्युत चोरी करना एक संज्ञेय अपराध है यदि कोई उपभोक्ता इस अपराध में लिप्त पाया जाता है तो उस उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति विच्छेदित करने के साथ–साथ उसको जेल भेजने एवं दण्ड वसूल करने का अधिकार अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत प्राप्त है यदि किसी भी उपभोक्ता के साथ ऐसा घटित होता है तो शायद वे आर्थिक क्षति की भरपाई तो कर सकते है परन्तु सामाजिक एवं मानसिक क्षतिपूर्ति की भरपाई शायद कभी नहीं कर पायेंगे।

परन्तु संज्ञान में यह भी आया है कि अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा जानबूझ कर प्रताड़ित करने की नियत से उपभोक्ताओं को विद्युत चोरी में फँसाया जाता है तथा गलत रिपोर्ट भर कर सम्बन्धित थाने में एफ.आई.आई. दर्ज करायी जाती है। इस सम्बन्ध में प्रत्येक उपभोक्ता को सर्तक रहने एवं निम्न सावधानी बरतने की विशेष आवश्यकता है।

(1) जाँच टीम के अधिकारियों का आई. कार्ड अवश्य देखें एवं अधिकारी का नाम, पदनाम एवं कार्यालय का पता अपने पास अवश्य नोट करें।

(2) जाँच टीम द्वारा भरी गयी रिपोर्ट में जो अनिमितताएँ लिखी गयी है वे सही है अथवा नहीं।

(3) आपके संयोजन से जुड़े मोटर एवं अन्य संयंत्रों के विद्युत भार का सही विवरण लिखा गया है अथवा नहीं।

(4) आपके मीटर की रीडिंग, डिमाण्ड एवं सीलों का सही विवरण रिपोर्ट में लिखा गया है अथवा नहीं।

(5) मीटर में छेड़छाड़ करना, स्वीकृति विधा के अतिरिक्त अन्य विधा हेतु विद्युत का प्रयोग विद्युत अधिनियम 2003 की धारा–126 के 'अन्तर्गत विद्युत का अनाधिकृत प्रयोग' की श्रेणी में आता है जो एक दण्डनीय अपराध है।

(6) जाँच टीम द्वारा भरी गयी रिपोर्ट से सहमत नहीं होने की दशा में उपभोक्ता रिपोर्ट से हस्ताक्षर करने से पूर्व असहमत होने का कारण अवश्य लिखें। यह उपभोक्ता का मौलिक अधिकार है। इसका अवश्य उपयोग करें।

(7) जाँच टीम द्वारा यदि विद्युत अधिनियम की धारा–135 के अन्तर्गत सीधे विद्युत चोरी का केस (बिना मीटर के) धारा–135 के अन्तर्गत बनाया जाता है तो उपभोक्ता बिन्दु 1 से 6 के अतिरिक्त निम्न कार्यवाही की प्रति अधिकारियों से प्राप्त कर लें।

(i) विभाग द्वारा ली गई फोटो तथा वीडियो की कापी

(ii) विभाग द्वारा जो भी केस से सम्बन्धित दस्तावेज, सामग्री आदि जब्त की जायेगी उसकी फर्द की कापी।

(iii) तैयार की गयी सीलिंग प्रमाण पत्र/रेड रिपोर्ट में लिखे गये किसी तथ्य से यदि आप असंतुष्ट हो तो असहमति का कारण अवश्य लिखें। यह आपका मौलिक अधिकार है।

(iv) जाँच के समय उपभोक्ता स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि को जाँच टीम के साथ अवश्य रखें जिससे कि जाँच टीम कोई ऐसा सबूत अथवा सील आदि से छेड़छाड़ न करने पाये जिससे कि उपभोक्ता के ऊपर चोरी का केस सिद्ध हो सके।

नोट : यदि मीटर 95 प्रतिशत भी धीमा चलता हुआ पाया जाता है और बाकी सभी चीजें सही पायी जाती है तो उपभोक्ता के ऊपर चोरी का केस नहीं किया जा सकता। अतः उपभोक्ता जाँच के समय बिना घबराये हुये जाँच टीम को सहयोग करें परन्तु यदि विभाग द्वारा गलत कार्य किया जा रहा है तो इसकी सूचना अपने एसोसिएशन को दें तथा भीड़ इकट्ठा कर लें जिससे अधिकारी आपके खिलाफ कोई गलत कार्यवाही न करने पाये।

22. (क) विद्युत बीजकों में त्रुटियों के सम्बन्ध में

(1) यदि उपभोक्ता के किसी माह के विद्युत बीजक में कोई त्रुटि पायी जाती है तो उपभोक्ता उस बीजक का पूर्ण भुगतान करके सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को लिखित रूप में सूचित करेगा तथा यह भी उल्लेख करेगा कि धनराशि, जो त्रुटि से सम्बन्धित है, उसको उस आशय के साथ (under protest) जमा कर रहा है कि विद्युत वितरण संहिता के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता द्वारा उस त्रुटि का समाधान करते हुए अधिक जमा धनराशि का समायोजन अगले माह के बिल में अवश्य कर दिया जायेगा।

(2) यदि अधिशासी अभियन्ता द्वारा 7 दिन के अन्दर बिल का संशोधन नहीं किया जाता है तो उपभोक्ता इसकी शिकायत उपभोक्ता निवारण फोरम (CGRF) के सम्मुख करेगा। यदि इसके बाद भी उसका समाधान नहीं होता है अथवा फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो उसकी अपील उपभोक्ता विद्युत लोकपाल के समक्ष कर सकता है।

(ख) अनाधिकृत विद्युत का प्रयोग

(1) यदि कोई उपभोक्ता विद्युत अधिनियम 2003 की धारा–126 के अन्तर्गत अनाधिकृत विद्युत उपयोग में लिप्त पाया जाता है तो अधिशासी अभियन्ता द्वारा फाइनल असिस्मेन्ट

से पूर्व उपभोक्ता को सुनवाई का मौका दिया जायेगा। उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है वह अपनी बातें लिखित रूप में अधिशासी अभियन्ता को दें। सुनवाई के उपरान्त ही अधिशासी अभियन्ता फाइनल असिस्मेन्ट का बिल उपभोक्ता को देगा।

(2) यदि उपभोक्ता अधिशासी अभियन्ता द्वारा बनाये गये फाइनल असिस्मेन्ट से संतुष्ट नहीं है तो वे इसकी अपील मण्डलायुक्त के अधीन समिति के समक्ष करेंगे जो कि दो सदस्यीय होती है।

(ग) सीधे विद्युत चोरी के केस में

(1) यदि कोई उपभोक्ता विद्युत अधिशासी 2003 की धारा–135 के अन्तर्गत सीधे विद्युत चोरी में लिप्त पाय जाता है अथवा विभाग द्वारा जानबूझ कर उसको फँसाया जाता है इस स्थिति में भी सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा उपभोक्ता को फाइनल असिस्मेन्ट से पूर्व सुनवाई का मौका दिया जायेगा उसके बाद ही फाइनल असिस्मेन्ट का बिल अधिशासी अभियन्ता द्वारा निर्गत किया जायेगा। अतः उपभोक्ता को अपनी बातें लिखित रूप में अधिशासी अभियन्ता को देना चाहिए। परन्तु किसी भी स्थिति में चोरी को स्वीकार नहीं करना चाहिए। चोरी को सिद्ध करना विभाग की जिम्मेदारी है ना कि उपभोक्ता की।

(2) अधिशासी अभियन्ता द्वारा तैयार किए गए फाइनल असिस्मेन्ट की अपील सामान्यतः ए. डी.जे.–11, जो कि सरकार द्वारा इस कार्य के लिए अधिकृत किये गये है, के सम्मुख की जा सकती है।

(3) कम्पनी की सलाह के अनुसार उपभोक्ता को भारत के संविधान के अनुच्छेद–126/127 के अन्तर्गत प्राप्त मौलिक अधिकारों के तहत मा. उच्च न्यायालय में याचिका (Writ) दाखिल करनी चाहिए।

23. उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि विभाग से वास्तविक लोड ही स्वीकृति करायें अन्यथा अधिक डिमाण्ड आने पर तीन गुना दण्ड विभाग द्वारा लगाया जाता है जबकि किसी माह भार कम भी आता है तो विभाग द्वारा अनुबन्धित भार का 75 प्रतिशत चार्ज किया जाता है।

कोई भी उपभोक्ता दो वर्ष में एक बार लोड को घटा सकता है अतः ऐसे उपभोक्ता जिनका भार वास्तविक लोड से कहीं ज्यादा है उनको सलाह दी जाती है कि वास्तविक भार के अनुसार अपना लोड घटा लें।

. . . शेष पृष्ठ 20 पर

फार्म 4

❑ प्रकाशन स्थान	:	लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
❑ प्रकाशन अवधि	:	मासिक
❑ मुद्रक का नाम	:	रोहिताश्व प्रिण्टर्स
❑ क्या भारत का नागरिक है	:	हाँ
❑ पता	:	रोहिताश्व प्रिण्टर्स, ऐशबाग रोड, लखनऊ – 226004 (उत्तर प्रदेश)
❑ प्रकाशक का नाम	:	महेन्द्र स्वरूप
❑ क्या भारत का नागरिक है	:	हाँ
❑ पता	:	कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ – 226004 (उत्तर प्रदेश)
❑ जो व्यक्तियों के नाम व पते जो पत्रिका के स्वामी हो तथा जो समस्त पूँजी के 1 प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हो	:	कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

मैं महेन्द्र स्वरूप एततद् द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार दिए हुए विवरण सत्य है।

हस्ताक्षर

महेन्द्र स्वरूप

. . . पृष्ठ 18 का शेष

24. समस्त उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वो अपनी इकाई में निम्न विवरण प्रतिदिन सुरक्षित रखें :–

(क) प्रतिदिन विद्युत खपत प्रतिदिन सुरक्षित रखें।

(ख) प्रतिदिन खपत की गयी विद्युत का विवरण।

(ग) प्रतिदिन पावर फैक्टर का विवरण।

(घ) प्रतिदिन इकाई के ब्रेकडाउन का विवरण।

यह समस्त आपको विभाग से compensation लेने में काम आयेंगे।

हमारी कम्पनी उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के समस्त सम्मानित सदस्यों का हार्दिक स्वागत करती है एवं शुक्रगुजार है कि इनके द्वारा हमें अपनी बात रखने का मौका दिया गया। उपरोक्त विवरण बहुत ही संक्षिप्त है यदि किसी सदस्य को कोई और जानकारी चाहिए तो नीचे दिये गये मोबाइल नम्बरों पर निःशुल्क जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

साभार : श्री रमाशंकर अवस्थी

मोबाइल : 9415026874

सेवा में,

Postal Registration No.SSP/LW/NP65/2014-16

.....

.....

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक एवं स्वामी महेन्द्र स्वरूप, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश,
स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ से प्रकाशित एवं
रोहिताश्व प्रिण्टर्स, ऐशबाग रोड, लखनऊ द्वारा मुद्रित